कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 90 **/ओबरा/15 भू0ह0** **दिनांक–**13-7-**2022.**

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
उ0प्र0, पावर ट्रांशमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर
पता–220 के0वी0 सब स्टेशन, तलवल, गाजीपुर, उ0प्र0।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–1672/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–06.01.2022, पत्रांक–3020 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–16.06.2022, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–3275/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/ट्रांस/44753/ 2020 दिनांक–02.05.2022 तथा आपके कार्यालय का पत्रांक–1467/वि0प्र0ख0 दिनांक–22.06.2022.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक –1672/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–06.01.2022 द्वारा उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्र संख्या–3275/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/ट्रांस/44753/2020 दिनांक–02.05.2022 द्वारा 13 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी थी, तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–3020/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–16.06.2022 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण करनें का अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1467/वि0प्र0ख0 दिनांक–22.06.2022 द्वारा आपत्ति निराकरण के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना/रिपार्ट इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। जिसके बिन्दु संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9 के सम्बन्ध में आप द्वारा उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वनीकरण की देयता नहीं बनती है, जब कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के सन्दर्भित पत्र में क्षतिपूरक वनीकरण से सम्बन्धित सूचना मांगी गयी है तथा बिन्दु संख्या 13 में संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0फाईल जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाईल भी हो, पेन ड्राईव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करनें का निर्देश दिया गया है, जिस पर आप द्वारा उल्लेख किया गया है कि पत्र के साथ संलग्न है, परन्तु पत्र के साथ कोई पेन ड्राइव संलग्न नहीं किया गया है।

उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि आप मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के बिन्दु संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा बिन्दु सख्या 13 में उल्लिखित आपत्तियों का निराकरण करते हुए, संशोधित लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या– 90 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/C